

प्रेषक,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : १ नवम्बर, 2012

विषय : जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के उपघटक आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत जनपद-चन्दौली की निकाय-चकिया की एक परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1385/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/2012-13, दिनांक 08 सितम्बर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के उपघटक आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत जनपद-चन्दौली की निकाय-चकिया की 48 आवासों की 01 परियोजना, जिसमें सभी आवास सामान्य वर्ग के हैं, तथा जिसकी कुल लागत रू० 118.30 लाख है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- I. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
- II. प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने के दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-8-1698/दस-12, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 1644 (1)/69-1-12-88(बजट)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, चन्दौली।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
5. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष), को वेब साइट पर अपलोड, करने हेतु।
7. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूझा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,

(आर०पी० सिंह)
उपसचिव।